<u>कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना</u>

का.आ.सं. स्था.(ले.प.)/प्रतिन्युक्ति /2021-22/बी-13 दिनांकः 13.05.2021

<u>कार्यालय आदेश</u>

सेवानिवृत्त वरीय लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी, चेन्नई में 01-06-2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल वाणिज्यिक) के पद में सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त वरीय लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । संविदा अधिकारियों पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगीः

1. आयु 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।

2. नियुक्ति की अवधि सामान्यतः प्रारंभिक अवधि से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जो कि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । नियुक्ति की अवधि को संविदा पर न्युक्त व्यक्ति के कार्य और प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि वह अधिवार्षिता के बाद पाँच वर्ष से अधिक न हो ।

3. सलाहकार को भारत सरकार के साथ गोपनीयता के करार पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें नैतिक सिद्धान्त एवं सत्यनिष्ठा की उपधारा शामिल होगी ।

4. उनकी सेवानिवृत्ति के समय पर आहरित वेतन से मूल पेंशन की कटौती कर, यहाँ पहुँचने पर उन्हें एक नियत मासिक राशि अनुमान्य होगी । संविदा की अवधि तक नियत किया गया पारिश्रमिक की राशि अपरिवर्तनीय रहेगी । संविदा के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी ।

5. संविदा की अवधि के दौरान किसी वेतन वृद्धि और महँगाई भत्ता की अनुमति नहीं होगी । कोई मकान भत्ता किराया भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

6. आवास और कार्य-स्थल के बीच आने-जाने के लिए यातायात भत्ता के रूप एक उचित और नियत राशि की अनुमति होगी जो कि नियुक्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी । यह नियत राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहगी ।

7. प्रत्येक एक महीने की सेवा की समाप्ति पर 1.5 दिन की दर से भुगतान सहित छुट्टी की अनुमति होगी । एक कैलेण्डर वर्ष से ऊपर छुट्टी संचय करने की अनुमति नहीं होगी ।

योग्यता मापदंड को पूरा करने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त व.ले.प.अ./ले.प.अ. /स.ले.प.अ. (सिविल /वाणिज्यिक) तथा उपर्युक्त असांइनमेन्ट के इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न प्रपत्र में अपना जीवन-वृत तथा अंतिम पाँच वर्षों के एपीएआर की प्रतिलिपियाँ, यदि उनके पास उपलब्ध हो तो, 14.05.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

ह/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
2. उप महालेखाकार (प्रशा.) का सचिवालय
3. सभी उप महालेखाकारगण के सचिवालय
4. सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इण्डिया (आईपीएआई), बिहार चैप्टर, पटना
5. नोटिस बोर्ड/ कार्यालय के सभी संघों के व्हाट्सएप समूह
6. कार्यालय आदेश संचिका

ह/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)